केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

याचिका संख्या. 445/टीएल/2019 **दिनांक : 27.01.2020**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के आधार पर "भुज पीएस में आरई अंतःक्षेपणों के कारण गुजरात अंतःराज्यिक प्रणाली में अवलोकित ओवर लोडिंग से राहत के लिए पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–21 (भाग–ख)–पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण" के निर्माण के लिए लकाडिया वड़ोदरा पारेषण परियोजना लिमिटेड, एफ–1, मीरा कॉर्पोरेट सूट्स, ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110065 द्वारा आवेदन किया गया है:

क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1.	लकाडिया–वड़ोदरा 765 किलोवाट डी/सी लाईन	31 दिसम्बर, 2020
2.	लकाडिया–वड़ोदरा 765 किलोवाट डी/सी लाईन को दोनों छोरों पर 500 ओएचएम एनजीआर के साथ लकाडिया–वड़ोदरा 765 किलोवाट डी/सी लाईन के दोनों छोरों पर 330 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर (वड़ोदरा छोर पर 330 एमवीएआर लाईन रिएक्टर–4 संख्या, 765 किलोवाट रिएक्टर बे–4 संख्या, 1 x 110 एमवीएआर 765 किलोवाट, 1 पीएच स्विचेबल लाईन रिएक्टर (अतिरिक्त इकाई))	
3.	लकाडिया–वड़ोदरा 765 किलोवाट डी/सी लाईन (765 किलोवाट लाईन बे–4 संख्या) के लिए लकाडिया और वड़ोदरा प्रतीक पर 765 किलोवाट बेज की 2 संख्या	

2. आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 1788.66 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।
3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।
4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 445/टीएल/2019 में दिनांक 23.01.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।
5. लकाडिया वड़ोदरा पारेषण परियोजना लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.sterlitepower.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 11.2.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदन को यथासमय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–

(सनोज कुमार झा)

सचिव